

राजस्थान – सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : राजपत्रित/असाधारण अवकाश/पीजी-2021-22/2024/30 दिनांक : 25/01/2024

–: आदेश :-

निम्न लिखित सेवारत चिकित्सक का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

महात्मा गॉधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में उच्च अध्ययन कर रहे का नाम	असाधारण अवकाश की अवधि
1	डॉ० अंकित गोयल	19.03.1983	31.08.2011	एमसीएच (प्लास्टिक एण्ड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी)	15.02.21 से 14.02.24

उक्त आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.07.2022 के अनुसरण में जारी किये गए हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित/असाधारण अवकाश/पीजी-2021-22/2024/30 दिनांक : 25/01/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक।
4. कार्यालय अधीक्षक एटीसी/डीपीसी सैल, राजपत्रित मुख्यालय।
5. प्रभारी ए टू जी सीट, संस्थापन (राजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
7. सम्बन्धित डिलिंग सहायक को चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली हेतु।
8. सम्बन्धित चिकित्सक।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5343655

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <directorph-r@nic.in>

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :25-01-2024 12:17:38